

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1047/2015/झुंझून्

मैसर्स पृथ्वीराज कन्सट्रक्शन कम्पनी,
भडुन्दा खुर्द, झुंझून्

..अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त, झुंझून्

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल,
अभिभाषक
श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 26/12/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 77/आरवेट/झुंझून्/14-15 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें उन्होंने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-झुंझून् (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 22,23,24 में पारित आदेश दिनांक 25.03.2014 के द्वारा आरोपित मांग रू0 4,23,695/- को यथावत रखा गया हैं।

2. विचाराधीन प्रकरण में व्यवसायी एक वर्क्स कोन्ट्रेक्टर है। व्यवसायी का कर निर्धारण वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु आदेश दिनांक 25.03.2014 द्वारा किया गया। व्यवसायी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष कुल आरोपित कर, ब्याज व शास्ति राशि रू. 17,09,945/- में से राशि रू. 12,86,250/- को स्वीकार करते हुये शेष राशि राशि रू 4,23,695/- को इस आधार पर विवादित किया गया कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के संदर्भ में ई.सी. फीस 3 प्रतिशत के स्थान पर 2.25 प्रतिशत होनी चाहिए। अपीलीय अधिकारी ने अपने अपीलाधीन आदेश द्वारा विवादित बिन्दु के संबंध में यह माना है कि ट्यूबवैल का निर्माण व सबमर्सिबल पम्प सैट की स्थापना का कार्य अधिसूचना सं. एफ.12(23)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.08.06 के बिन्दु सं. 3 के अन्तर्गत नहीं आता बल्कि बिन्दु सं. 4 के अन्तर्गत आता है जिस पर 3 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस देय है। व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त आदेश को चुनौती दी हैं।

3. प्रकरण में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि works contract को ई.सी. प्रमाण पत्र के संबंध में वेट अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006 की List के अन्तर्गत किस श्रेणी में माना

२४

लगातार.....2

जाये। उपरोक्त अधिसूचना का संबंधित भाग निम्न प्रकार है :-

List

Item No.	Description of Work Contract	Rate of exemption fee % of the total value of the contract
1	2	3
1.	1[xxx]	0.25%
2.	Works contracts relating to building, roads, bridges, dams, canals, sewerage system.	1.50%
3.	works contracts relating to installation of plants and machinery including PSPo, water treatment plant, laying of pipe line with material	2.25%
4.	Any other kind of works contract not covered by item Nos. 1 [xxx] 2 and 3	3%

This notification shall be deemed to have come into force w.e.f. April 1, 2006.

विचाराधीन प्रकरणों में विवादित बिन्दु से संबंधित कार्य Construction of 200 mm dia Meter Tubewell supply and Installation of submersible pump sets & Commissioning of tubewells.....है। यह कार्य उक्त तालिका के आईटम सं. 2 व 3 में स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है जिससे यह कार्य आईटम सं. 3 से कवर होता है जिस पर 3 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस देय है। अपीलार्थी का यह कथन है कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का उपरोक्त कार्य अधिसूचना में दी गयी सारणी के बिन्दु संख्या 3 Works contracts relating to installation of Plants and Machinery including PSPo, water treatment plant, laying of pipe lime with material के अन्तर्गत आता है जिस पर 2.25 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस देय है। इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार बिन्दु सं. 3 में वे ही ठेका कार्य सम्मिलित है जो या तो प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना से संबंधित हो अथवा वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, पीएसपीओ एवं माल सहित पाईप लाईन बिछाने के कार्यों से संबंधित हो। यहा प्लांट एवं मशीनरी शब्द का एक साथ प्रयोग किया गया है अलग-अलग नहीं? अपीलार्थी ठेकेदार द्वारा यह कहना कि पम्पिंग सैट को माननीय न्यायालय द्वारा मशीनरी के अन्तर्गत माना है, के अनुसार यह मान भी लिया जाये कि ट्यूबवेल व सबमर्सिबल पम्पसैट प्लान्ट व मशीनरी की श्रेणी में है तो भी यह कार्य आईटम सं. 3 से कवर नहीं होता है क्योंकि कार्यादेश के अनुसार कार्य में 200 एमएम डायामेटर के धरातल से 150 मीटर की गहराई तक ट्यूबवेल निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है। कार्यादेश के अनुसार कार्य में Construction of Tubewell, Drilling of 200 mm dia bore for tubewell, supply and installation of submersible pump set and Commissioning of tubewells, इस प्रकार कार्य के मुख्य 4 भाग हैं तथा यदि स्थापित ट्यूबवेल को प्लान्ट व पम्प सैट्स को मशीनरी की श्रेणी मान लिया जावे तो यह आईटम सं. 3 का आधा भाग ही है क्योंकि कार्य में सम्मिलित शेष भाग Construction of

२४

लगातार.....3

Tubewell, Drilling of 200 mm dia bore for tubewell, आईटम सं. 3 में शामिल नहीं है। समग्रता से देखा जाये तो सम्पूर्ण कार्य न तो आईटम सं. 2 व न ही आईटम सं. 3 में वर्णित है। अपीलार्थी ठेकेदार के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया कि ट्यूबवेल की स्थापना में पाईप लाईन बिछाने का कार्य भी किया जाता है जो कि अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006 की आईटम संख्या 3 में कवर होता है, यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि आईटम नम्बर 3 में केवल प्रत्यक्ष पाईप लाईन बिछाने का कार्य सम्मिलित है जबकि नलकूप स्थापना में पाईपों को जमीन में डालकर उसमें मोटर स्थापित करने का कार्य किया जाता है। यह केवल पाईप लाईन बिछाने के कार्य की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अतः ट्यूबवेल निर्माण एवं पम्प सैट स्थापना का कार्य अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006 के बिन्दु सं० 3 में कवर होना नहीं माना जा सकता। सशक्त अधिकारी द्वारा इसे अधिसूचना संख्या F.12(63)FD/Tax/2005-80 Dt. 11-08-2006 आईटम नं. 4 Any other kind of works contract not covered by item Nos.1[xxx] 2 and 3 में कवर होना मानते हुए 3 प्रतिशत की दर से विमुक्ति शुल्क प्रमाण पत्र जारी किये हैं जो विधिसम्मत है। अपीलीय अधिकारी ने भी प्रकरण के तथ्यों पर समुचित विवेचन करने के पश्चात् ही अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।

4. यहा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से भी अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती है क्योंकि विचाराधीन प्रकरणों में मात्र प्लान्ट एवं मशीनरी का ही बिन्दु नहीं है बल्कि कार्य आदेश के अनुसार कार्य में 200 एमएम डायामेटर के धरातल से 150 मीटर की गहराई तक ट्यूबवेल निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है। माननीय इलाहबाद उच्च न्यायालय के निर्णय 31 एसटीसी 456 में वाटर पम्पिंग सैट को मशीनरी के रूप में माना गया है परन्तु इस प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह था कि वाटर पम्पिंग सैट यूपी सेल्स टैक्स एक्ट के अन्तर्गत कृषि उपकरण में माना जाये या नहीं जबकि विचाराधीन प्रकरणों में कार्यादेश के अनुसार कार्य की श्रेणी देखी जानी है। इसी प्रकार माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय (1991) 190 आईटीआर 487 निर्णय दिनांक 29.01.1991 में ट्यूबवेल एवं वजन तौलने की मशीन को भी प्लान्ट एवं मशीनरी की श्रेणी में माना गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्णय इनकम टैक्स 1961 के अन्तर्गत 8080 द्वारा व्यवहारी के कागज उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले पानी हेतु स्थापित ट्यूबवेल को प्लान्ट मानकर इनवेस्टमेंट अलाउंस दिया जाये या नहीं, के बिन्दु पर यह माना है कि चूंकि ट्यूबवेल का प्रयोग कागज के उत्पादन हेतु पानी निकालने में आता है जिससे ट्यूबवेल का कार्य व्यवहारी के इनवेस्टमेंट का पार्ट है जबकि विचाराधीन प्रकरणों में कार्यादेश के अनुसार कार्य की श्रेणी देखी जानी है।

20

5. विचाराधीन प्रकरण में ट्यूबवेल का निर्माण व सबमर्सिबल पम्प सैट की स्थापना का कार्य अधिसूचना सं. एफ.12(23)एफडी/टैक्स/2005-80 दिनांक 11.08.06 के बिन्दु सं. 3 के अन्तर्गत माना जाकर 2.25 प्रतिशत की दर से ई.सी.फीस देय है या बिन्दु सं. 4 के अन्तर्गत माना जाकर 3 प्रतिशत की दर से ई.सी.फीस देय है, का विवादित बिन्दु है जिसके संबंध में इसी व्यवहारी के प्रकरण में अपील सं. 154 से 157/2013 में पृथ्वीराज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी झुंझुनू में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा निर्णय दिनांक 30.05.17 द्वारा यह अवधारित किया जा चुका है कि ऐसे प्रकरण में बिन्दु सं. 4 के अनुसार 3 प्रतिशत की दर से ई.सी. फीस देय है। यह प्रकरण माननीय कर बोर्ड के उपरोक्त निर्णय से कवर्ड है।
6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.05.2015 की पुष्टि की जाती है।
7. निर्णय सुनाया गया।

^{नक्षत्र}
(नत्थूराम)
सदस्य